"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 12, शक 1931

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-7-21/सात-3/08.—समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 314 दिनांक 23-11-2002 द्वारा संभागीय आयुक्तों के पदों की समाप्ति के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-07-232/रा./2003 दिनांक 03-09-2003 के अनुसरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 11 के अंतर्गत अधिनिर्णय प्रदान करने की शक्तियां जिला कलेक्टर को समनुदेशित की गई थी.

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 14 अप्रैल 2008 से प्रभावशील, देखिए अधिसूचना क्रमांक-एफ-6-3/सात-3/2008 के अंतर्गत संभागीय आयुक्त के पद को पुनः सृजित किया गया. अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना दिनांक 03-09-2003 को निरसित करती है तथा अधिसूचना क्रमांक-एफ-12-84-90/VII-9 दिनांक 15-02-1999 को यथावत् लागू करती है.

Raipur, the 3rd December 2009

NOTIFICATION

No./F-7-21/7-3/08.—Pursuant to this departments Notification No. F-07/232/Re./2003 dated 03-09-2003, the powers to make Award under section 11 of the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894) were assigned to District Collector, after abolishment of posts of Divisional Commissioners by even Notification No. 314 dated 23-11-2002.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government again created the post of Divisional Commissioner under the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2008 w. e. f. 14 April 2008 vide notification No. F-6-3/Seven-3/2008. Now the State Government hereby repeal the Notification dated 03-09-2003 and apply the Notification No. F-12-84-90/VII-9 dated 15-02-1999 as it is.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.